भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2473

दिनांक 09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाइयों का मूल्य

2473. श्री चिराग कुमार पासवान:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों की तुलना में देश में दवाइयों की कीमतें बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा दवाइयों की कीमतें कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उपलब्धियां क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (ख): पड़ोसी देशों में दवाओं की कीमतों के बारे में तुरंत कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, देश में दवाओं की कीमतें अधिक नहीं हैं और समय-समय पर जारी किए गए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के प्रावधानों के अनुसार इन्हें नियंत्रित किया जाता है।

(ग) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित आवश्यक दवाईयों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) के तहत कवर की गई दवाइयां औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ 2013) की अनुसूची-1 में शामिल हैं और औषध विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा इन दवाइयों की अधिकतम कीमत निर्धारित की जाती हैं। मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत दवाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-

- एनपीपीए द्वारा एनएलईएम, 2015 के अंतर्गत दवाइयों के 881 अनुसूचित फार्मूलेशनों की अधिकतम कीमत निर्धारित की गई है।
- एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 1,495 नई दवाईयों की खुदरा कीमत भी निर्धारित की गई है।
- एनपीपीए द्वारा जनहित में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत 106 मधुमेह-रोधी और कार्डियोवास्कुलर दवाईयों की कीमतें निर्धारित की गई। एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत कार्डियक स्टेंट के अनुसूचित फार्मूलेशन होने के कारण उसका अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसकी वजह से कोरोनरी स्टेंटों में ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट की कीमतों में 74 % और बेयर मेटल स्टेंट की कीमतों में 85% तक की कमी हुई हैं।

- एनपीपीए द्वारा जनहित में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत आर्थोपेडिक घुटने प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमत निर्धारित की गई हैं जिससे आर्थोपेडिक घुटने प्रत्यारोपण की कीमतों में 69% तक की कमी हुई है।
- अवधारणा के प्रमाण के लिए पायलट रूप में "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के तहत 42 चयनित कैंसर-रोधी दवाईयों के गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन के व्यापार मार्जिन को निर्धारित किया, जिसमें 500 से अधिक ब्रांडों की दवाईयों की कीमत 90% तक कम की गई।

डीपीसीओ, 2013 के कार्यान्वयन के पश्चात् कीमतों के निर्धारण के बाद जनता को प्रति वर्ष 12,447 करोड़ रूपए की कुल बचत हुई है।

*****